अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION सचिवालय /SECRETARIAT

Sri Vijaya Puram, dated the 26th November 2025

NOTIFICATION

No.F.No.34-710/2025-Rev. Whereas by Notification No. 34-710/2011-Rev dated 20/07/2011, the Lieutenant Governor, A & N Islands under section 48(1) of the A & N Islands Land Revenue and Land Reforms Regulation, 1966 directed that a revenue survey of Local area specified therein was to be made.

And whereas, the said Revenue Survey in respect of the village Guptapara under Ferrargunj Tehsil, South Andaman District included in the said Notification has been duly completed.

Now therefore, under section 48(1) of the A & N Islands Land Revenue and Land Reforms Regulation, 1966, the Lieutenant Governor, A & N Islands declares the Revenue Survey Operation in respect of Guptapara Village under Ferrargunj Tehsil, South Andaman District be closed with immediate effect.

Governor

By order and in the name of Lt.

Andaman & Nicobar Islands

Assistant Secretary (Revenue)

Copy To:

- 1. The Deputy Commissioner, South Andaman District, Sri Vijaya Puram.
- 2. The Settlement Officer, Andaman & Nicobar Islands for information and necessary action.
- 3. The Assistant Commissioner, South Andaman.
- 4. The Manager, Govt. Press, Sri Vijaya Puram with the request to publish the Notification (both in English & Hindi version) in an extra ordinary Gazette forthwith 25 copies of the relevant Gazette may kindly be supplied to the Revenue section, Secretariat, Sri Vijaya Puram (Through IP&T Department, Sri Vijaya Puram).
- 5. The Hindi officer, A & N Administration, Secretariat, Sri Vijaya Puram

for Hindi version of the Gazette.

- 6. The Chief Editor, The Daily Telegrams through Director, IP&T, A & N Administration, Sri Vijaya Puram with the request to publish the above said Notification in the Daily Telegram for two consecutive days.
- 7. The Assistant Secretary (Archive), A & N Administration, Sri Vijaya Puram.
- 8. The Sr. PS to Lieutenant Governor, Raj Niwas, Sri Vijaya Puram.
- 9. The PS to Chief Secretary, A & N Administration, Sri Vijaya Puram.
- 10. The PS to Secretary, Revenue, A & N Administration, Sri Vijaya Puram.
- 11. The Assistant Manager (IT), Secretariat, Sri Vijaya Puram with the request to hoist the Notification in the official website of A & N Administration.

Digitally signed by A. Yesu Raj

Date: 26-11-2025

15:04:47

Assistant Secretary (Revenue)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR DMINISTRATION सचिवालय/SECRETARIAT

श्री विजयपुरम, दिनांक 27 नवम्बर, 2025

<u>अधिसूचना</u>

सं. फा. सं.34-710/2025-राजस्व । चूंकि उप-राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भू-राजस्व एवं भूमि सुधार विनियम,1966 की धारा 48(1) के तहत दिनांक 20/07/2011 के अधिसूचना सं. 34-710/2011-राजस्व द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।

और चूंकि, उक्त अधिसूचना में सम्मिलित दक्षिण अण्डमान जिला के फरारगंज तहसील के अंतर्गत गुप्तापाड़ा गाँव का उक्त राजस्व सर्वेक्षण विधिवत पूरा हो चुका है।

अब इसलिए, उप-राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भू-राजस्व एवं भूमि सुधार विनियम,1966 की धारा 48(1) के तहत दक्षिण अण्डमान जिला के फरारगंज तहसील के अंतर्गत गुप्तापाड़ा गाँव के राजस्व सर्वेक्षण से संबन्धित कार्य का तत्काल प्रभाव से समाप्ति की घोषणा करते हैं।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर

सहायक सचिव(राजस्व)

प्रतिलिपि:-

- 1. उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान जिला, श्री विजयपुरम।
- 2. बंदोबस्त अधिकारी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत्।

3. सहायक आयुक्त्र, दक्षिण अण्डमान्।

- 4. प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय, श्री विजयपुरम को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में अंग्रेजी तथा हिन्दी, दोनों भाषाओं में प्रकाशित करें और इसकी 25 प्रतियाँ राजस्व अनुभाग, सचिवालय, श्री विजयपुरम को भेजने की कृपा करें।
- 5. हिन्दी अधिकारों, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय, श्री विजयपुरम को इस अधिसूचना का हिन्दी पाठ उपलब्ध कराने हेत्।

- 6. मुख्य संपादक, दी डेली टेलीग्राम्स, श्री विजयपुरम को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को दी डेली टेलीग्राम्स समाचार पत्र में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करें।
- 7. सहायक सचिव(अभिलेखागार), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री विजयपुरम ।

8. उप राज्यपाल के वरिष्ठ निजी सचिव, राजनिवास, श्री विजयपुरम को उप राज्यपाल महोदय के सूचनार्थ।

9. मुख्य सचिव के निजी सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री विजयपुरम को

मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

10. सचिव(राजस्व) के निजी सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री विजयपुरम।

11. सहायक प्रबन्धक(सूचना प्रौद्योगिकी), सचिवालय, श्री विजयपुरम को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शासकीय वेबसाइट में उपलब्ध कराने की कृपा करें।

Digitally signed by

A. Yesu Rai

Date: 27-11-2025

09:43:01

सहायक सचिव(राजस्व)